क्लेम प्रकरण क्रमांक 1253/2024 (भोजमती रात्रे व अन्य विरूद्ध हेमचंद साहू व अन्य)

II-157
C.J.

Time-12:25 PM

नोटः- साक्षी भोजमती रात्रे (आ.सा.–01) पति सुरेन्द्र, उम्र 46 वर्ष, निवासी वार्ड नम्बर 07, दलालखार थाना बसना जिला महासमुंद छ0ग0 का मुख्य परीक्षण आदेश 18 नियम 4 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत पेश है वह आज दिनांक 23-04-2026 को अधिकरण के समक्ष उपस्थित है उसे शपथ दिलाकर उसका परीक्षण प्रारंभ किया गया।

5— मैंने दांडिक प्रकरण की थाने से सत्यापित प्रतिलिपियां पेश की हूं जिसमें थाना का कव्हरिंग लेटर **प्र.पी–01**, अंतिम प्रतिवेदन **प्र.पी–02**, प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्र.पी–03,** बेड हेड टिकिट **प्र.पी–04**, डिस्चार्ज टिकिट **प्र.पी–05**, सम्पत्ति जप्ती पत्रक **प्र.पी–06**, गिरफ्तारी पत्रक **प्र.पी–07**, दुर्घटनाकारित वाहन का आर.सी. बुक **प्र.पी–08**, है। इसके अलावा मैंने ईलाज से संबंधित दस्तावेज, बिल एवं पर्चियां पेश किया हूं जो **प्र.पी.09 लगायत प्र.पी.14** है।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री दीपेश थवाईत अधिवक्ता वास्ते अनावेदक कं. 02

6— यह कहना गलत है कि दुर्घटना मेरे पुत्र धनीराम रात्रे के द्वारा लापरवाही पूर्वक मोटर साईकिल चलाने के कारण घटित हुई थी। यह कहना गलत है कि दुर्घटना में मोटर साईकिल क्रमांक सी.जी.–05 ए.एन.–3856 के चालक की कोई गलती नही थी। यह कहना गलत है कि मोटर साईकिल क्रमांक सी.जी.–05 ए.एन.–3856 के चालक के विरूद्ध झूठा रिपोर्ट लिखाया गया है। यह कहना गलत है कि दुर्घटना में मुझे सामान्य चोटे आयी थी और ईलाज के बाद मेरा चोट पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूं। यह कहना गलत है कि मुझे कोई स्थायी दिव्यांगता कारित नही हुई है। यह कहना सही है कि मैं स्थायी दिव्यांगता होने के संबंध में कोई प्रमाण पत्र पेश नही की हूं।

7— यह कहना गलत है कि मेरे ईलाज में 01 लाख रूपये खर्च नही हुआ है। यह कहना सही है कि मैं अपने से संबंधित बिल एवं दस्तावेज पेश कर दी हूं। यह कहना गलत है कि मैं ईलाज के खर्च एवं बिल को बढ़ा चढ़ाकर बतायी हूं। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा ईलाज से संबंधित बिल एवं पर्चियां असत्य एवं बनावटी है। यह कहना सही है कि मैं अपने कार्य एवं आमदनी के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नही किया हूं। यह कहना गलत है कि मैं रोजी मजदूरी का काम नही करती थी और मुझे 9 हजार रूपये मासिक आमदनी प्राप्त नही होती थी। यह कहना गलत है कि असत्य आधार पर बढ़ा चढ़ाकर दावा पेश किया हूं।

8— यह कहना गलत है कि मेरा ईलाज आयुष्मान कार्ड से हुआ था। यह कहना गलत है कि हम लोग ईलाज के नाम से कोई भी पैसा खर्चा नही किये है। यह कहना गलत है कि अधिक क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिये असत्य आधार पर चोट को बढ़ा चढ़ाकर दावा पेश किया और असत्य कथन की हूं।

Time-12:35 PM

साक्षी को पढकर सुनाया गया।
सही होना स्वीकार किया।

BALRAM PRASAD VERMA
Digitally signed by BALRAM PRASAD VERMA
Date: 2026.04.25 11:01:07 +0530

(बलराम प्रसाद वर्मा)
मुख्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
रायपुर छत्तीसगढ

मेरे निर्देश पर टंकित।

BALRAM PRASAD VERMA
Digitally signed by BALRAM PRASAD VERMA
Date: 2026.04.25 11:01:14 +0530

(बलराम प्रसाद वर्मा)
मुख्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
रायपुर छत्तीसगढ

साक्षी के हस्ताक्षर ....